प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

07/[illegible] आज यह पत्रावली वादी नं. 2 द्वारा प्रा. पत्र डिक्रीशुदा प्रस्तुत कर पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में लिया जाने बाबत निवेदन करने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान — कैम्प [illegible] 117 K में पेश हुई। अधिवक्ता श्री प्रवेश कुमार द्वारा प्रतिवादी नं. 1 की ओर से प्रा. पत्र 09 R 21 [illegible] प्रा. पत्र पेश व [illegible] अधिविक्ता [illegible] पत्र प्रस्तुत किया। वकील वादी प्रा. पत्र पर No objection करने के कारण प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध दिनांक 28/1/[illegible] को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर जवाब दावा पेश हुआ। वकील वादीगण और जवाब दावा [illegible] वादी नं. 2 व नं. 3 मय दस्तावेज के पेश किए। वादी नं. 2 एवं प्रति नं. 1 स्वयं हो उप., अधिवक्ता वादी उप. होकर वादी नं. 1 जरिए अधिवक्ता, वादी नं. 2 स्वयं एवं प्रति नं. 1 स्वयं ने राजीनामा पेश किया। वादी नं. 2 प्रा. पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा तस्दीक करवाने हेतु निवेदन किया वादी नं. 1 हाजिर नहीं है अतः राजीनामा सभी पक्षकारों की उपस्थिति के बिना तस्दीक नहीं किया जा सकता है।

वकील [illegible] निवेदन किया कि [illegible] में प्रतिवादी द्वारा मुकाबले जवाब दावा पेश किया गया है प्रकरण में कोई विवाद नहीं रह गया है अतः वाद-पत्र पक्षकारान की सहमति अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

लगातार (P.O.)

Hardeep
Manjeet Singh

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.06.01 11:35:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि पटवारमण्डल की संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है, जिसका वादीगण एवं प्रति. क्र. 1 द्वारा बंटवारा घरेलू तौर पर किया हुआ है। घरेलू बंटवारा अनुसार भूमि का खाता विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 1 के भाग अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग-2 खाता में अमल दरामद करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान कर निर्णित एवं डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी क्र. 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने राज्य पक्ष का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य सरकार को पक्षकार होने हेतु नाजायज आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है।

अतः चूंकि प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रति. क्र. 1 द्वारा वाद की सभी शर्तों को एवं आपसी बंटवारे को स्वीकार किया गया है, अतः तनकीहात कायम कर जांच की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी चक 4 PS संवत 2076-2079 खाता सं. 118 की कुल न. 9,47,31,26 की कुल 10.905 हे. बारानी/नहरी मय खाता मनजीत सिंह S/O सुखदेव सिंह जटसिख

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Sor
Date: 2022.06.01 11:35:10 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | मैं जारी किए

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

5453/10905 हिस्सा, सुरेन्द्रपाल सिंह S/O गुरमीत सिंह 2746/10905 हिस्सा, हरदीप सिंह S/O गुरमीत सिंह 2746/10905 हिस्सा खातेदार दर्ज है। जो कि जमाबंदी 4PS संवत 2072-2075 खाता सं. 100 अनुसार रणवीर सिंह S/O अजीत सिंह जटसिख से जरिए तकसीम वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 1 को प्राप्त हुई है।

चूंकि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 1 की खातेदारी भूमि है, जिसका खाता विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है। तथा वादीगण द्वारा पक्षकारान में मध्य पूर्व में हुए घरेलू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन कर खातेदार घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्रतिवादी क्र. 1 ने सहमति दी है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारों की आपसी सहमति आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण पक्षकारों की आपसी सहमति एवं वाद पत्र में वर्णित घरेलू बंटवारानामा (कच्चा नक्शा) के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि चक 2 PS खाता क्र. 118 में दर्ज विवादित मु.न. 9,47,31,26 की कुल 10.905 है. बारानी [illegible] भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 1 के मध्य निम्न प्रकार खाता [illegible] करके उन्हें इनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है:—

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Son
Date: 2022.06.01 11:35:10 IS
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

① वादी क्र.1 दुलेराम सिंह :→ चक 71 PS प.नं. 188/285

किला नं. मु.नं. 9 कि.नं. 20/0.045, 21/0.234 कुल 0.279 है. नहरी, मु.नं. 47 प.नं. 190/288 कि.नं. 1/0.013, 2/0.185, 3/0.240, 4/0.031, 7/0.036, 8/0.253, 9/0.185, 10/0.003, 12/0.185, 13/0.253, 14/0.036, 17/0.036, 18/0.253, 19/0.185, 22/0.185, 23/0.253, 24/0.035 कुल 2.367 है. नहरी दोनो मुरब्बो की कुल 2.726 है. नहरी

② वादी क्र.2 हरदीप सिंह :→ चक 71 PS प.नं. 188/285 मु.नं. 9

कि.नं. 19/0.008, 20/0.044, 21/0.019, 22/0.206 कुल 0.277 है. नहरी, प.नं. 190/288 मु.नं. 47 कि.नं. 3/0.013, 4/0.222, 5/0.253, 6/0.253, 7/0.217, 13/0.217, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.217, 24/0.218, 25/0.253 कुल 2.369 है. नहरी दोनो मुरब्बे की कुल 2.726 है. नहरी

③ प्रतिवादी क्र.1 मनजीत सिंह :→ चक 71 PS प.नं. 188/285 मु.नं.9

कि.नं. 13/2/0.013, 18/2/0.240, 19/2/0.156, 22/0.047, 23/1/0.0101 कुल 0.557 है. नहरी, प.नं. 190/288 मु.नं. 47 कि.नं. 1/0.240, 2/0.068, 9/0.068, 10/0.250, 11/0.253, 12/0.068, 19/0.068, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.068 कुल 1.589 है. नहरी व प.नं. 193/286 मु.नं. 26 कि.नं. 15/2/0.663 बारानी, 16 नहरी 0.253, 17/1/0.190, 18/1/0.663 बारानी, 21/2/0.190, 22/2/0.190, 23-24-25/0.755 है. नहरी कुल 0.126 है. बारानी, 1.582 है. नहरी, चक 9 प.नं. 191/287 मु.नं. 31 कि.नं. 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 खाला, 21-22-23/1.012 है. 0.228 कुल 1.468 है. नहरी 0.050 है. खाला कुल ... बारानी मय खाला

इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अलग-2 खाते में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिये जाते है। इसी आदेश की पत्रावली की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25/2/22 को लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by A
Date: 2022.06.01 11
Reason: SelfAttested